न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस

म्यूटेशन अपील संख्या –111/2017
(आर.सी.एम.एस.पोर्टल नं.–133/2017)

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. सोनाराम पुत्र भुराराम 2. बीराराम उर्फ धीराराम पुत्र भुराराम जाति जाट निवासीगण थाम्बडिया (पांचलासिद्धा) तहसील खींवसर जिला नागौर		1. आशाराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी थाम्बडिया (पांचलासिद्धा) तहसील खींवसर जिला नागौर 2. तहसीलदार खींवसर

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री बाबूलाल भादू।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की ओर से श्री बाबुलाल खोजा, रेस्पोडेन्ट संख्या–2 राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय दिनांक : 11-1-18

अपीलांट ने यह अपील 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। अपीलान्ट द्वारा ग्राम थाम्बडिया (पांचलासिद्धा) तहसील खीवसर का म्यूटेशन संख्या 440 जो तहसीलदार खींवसर द्वारा दिनांक 06.02.2013 को स्वीकृत किया गया है, से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 22.09.2017 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील ताबे उज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर, अधिनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया व रेस्पोडेण्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया।

वकील अपीलान्टस् ने मियाद प्रार्थना–पत्र के साथ अपना शपथ–पत्र पेश कर अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट को हस्तगत विवादित नामान्तकरण की पहले जानकारी नहीं थी, अभी हाल ही में अपीलांट्स अपनी खातेदारी की भूमि पर के.सी.सी. कार्ड बनवाने के लिए पटवारी हल्का से गांव थाम्बडिया की खतौनी की नकले दिनांक 12.09.2017 को ली व गांव आचीणा के गांव हैसाब स्थित भूमि की खतौनी की नकलें दिनांक 13.09.2017 को ली जिस पर अपीलांट्स को थाम्बडिया स्थित भूमि की खतौनी में उनका नाम दर्ज नहीं होने की जानकारी हुई तब दोनो तर्कनामा की नकलों के लिए दिनांक 14.09.2017 को आवेदन किया। जिस पर दिनांक 18.09.2017 को तर्कनामों की नकले प्राप्त हुई उसके बाद दिनांक 19.9.2017 को नामान्तरकरण संख्या 440 मौजा थाम्बडिया की नकले प्राप्त हुई। दिनांक 22.09.2017 को बिना देरी के यह अपील पेश की है जो तारीख जानकारी से अन्दर मियाद है। प्रथम जानकारी की तारीख से अपील अन्दर मियाद शुमार की जाना न्याय संगत होने का कथन करते हुऐ अपील अपीलान्ट न्यायहित मे अपीलांट की जानकारी के दिन से अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया।

वकील रेस्पोडेन्टगण द्वारा वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया की अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर है, इसलिए अपीलान्ट का आवेदन खारिज फरमाया जावे। अपीलान्टस् द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में दिये कथनो पर विश्वास करने के पश्चात न्यायहित में अपील की मैरिट पर सुनवाई की गई।

कलक्टर, नागौर

वकील अपीलान्टस् ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन म्यूटेशन के अन्तर्गत खेत खसरा नम्बर 344 रकबा 04 बिस्वा गै.मु., खसरा नम्बर 345 रकबा 7.16 बीघा, खसरा नम्बर 346 रकबा 03 बिस्वा गैर मुमकिन वाके मौजा थाम्बडिया तहसील खींवसर में स्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजी में आज दिन कानाराम के वारिसान का एंव सोनाराम, बीराराम उर्फ धीराराम का 1/3–1/3, 1/3 हिस्सा निहित करता है तथा चम्पादेवी जो कानाराम, सोनाराम, बीराराम उर्फ धीराराम एंव सुगनादेवी, पुरादेवी व मोहनीदेवी की माता थी जिसका देहान्त हो जाने पर चम्पादेवी के स्थान पर उनकी पुत्रीयों का हिस्सा बनता था जो पुत्रीयों ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने दोनो जीवित भाई व मृतक भाई कानाराम के पुत्र आशाराम के पक्ष में तर्क कर दिया जो तर्कनामा दिनांक 17.7.2012 को उप पंजीयक कार्यालय खींवसर में पंजिबद्ध करवाया गया। अपीलाधीन म्यूटेशन संख्या 440 जो वादग्रस्त है जिसके खसरा नम्बर 344, 345, 346 है उस खसरे में खातेदार कानाराम, सोनाराम व बीराराम उर्फ धीराराम थे, कानाराम का देहान्त हो जाने से यह नामान्तरकरण भरा गया और कानाराम के वारिस उसकी पत्नी धापूदेवी व पुत्रीया मिरगादेवी, समुदेवी व रूकीदेवी इन चारों ने ही अपना सम्पूर्ण हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपने पुत्र व भाई आशाराम के पक्ष में तर्क कर दिया जो तर्कनामा दिनांक 17.7.2012 को उप पंजीयक कार्यालय खींवसर में पंजिबद्ध किया गया व उन तर्कनामों के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 226 भरा गया जो रेकर्ड के मुताबिक व तर्कनामा अनुसार सही भरा गया। लेकिन विवादित नामान्तरकरण संख्या 440 भरा गया। म्युटेशन नम्बर 440 भरते समय लिपिकीय त्रुटि व भूल से सम्पूर्ण खसरान की भूमि अकेले रेस्पोडेन्ट संख्या 1 आशाराम के नाम दर्ज कर दी गई। जबकि उक्त भूमि में प्रत्येक के 1/3 हिस्से के हिसाब से सोनाराम, बीराराम उर्फ धीराराम व आशाराम का हिस्सा निहित करता है।

नामान्तरकरण स्वीकृत आदेश जैर अपील कतेई गलत, विधि विरूद्ध व न्याय के सिद्धान्तों तथा नामान्तरकरण हेतु बनी विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही स्वीकृत किया होने से निरस्त किये जाने योग्य है। वादग्रस्त खसरान की भूमि में अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता स्व. कानाराम के बराबर 1/3–1/3, 1/3 हक हिस्सा था है तथा वंशावली से व राजस्व रेकर्ड से स्पष्ट है कि उक्त पुश्तैनी भूमि में अपीलांट्स का विधिनुसार हक, हिस्सा व कब्जा काश्त है इसके बावजूद भी विवादित म्यूटेशन भरते समय तर्कनामों व रेकर्ड को ध्यानपूर्वक देखे बिना एंव लिपिकीय भूलवश वादग्रस्त खसरान में अपीलांट्स सहित रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम 1/3 हिस्से के हिसाब से दर्ज करना था, मगर त्रुटि व भूलवश केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का ही नाम दर्ज हो गया जो तर्कनामों की नकले, खतौनी नकले व नामान्तरकरण की नकलों से स्पष्टतया साबित है। इसलिए अपीलाधीन विवादित म्यूटेशन नम्बर 440 निरस्त किये जाने योग्य है।

पक्षकारान के मध्य एक ही तारीख 17.7.2012 को अपने दोनो खेताय गांव थाम्बडिया व हैसाब स्थित खेताय के तर्कनामें करवाये गये थे तथा दोनों तर्कनामें एक ही दिन हुए थे, एक तर्कनामा में अपीलांट्स की बहिने व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भुआ द्वारा उनके पक्ष में तर्क लिया गया था व विवादित म्यूटेशन से संबंधित भूमि का तर्कनामा केवल कानाराम के वारिस पत्नी व पुत्रीयों द्वारा केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में तर्क किया गया था इसलिए उक्त तर्कनामा के अनुसार नामान्तरकरण भरते समय भूल से सोनाराम व बीराराम उर्फ धीराराम का नाम दर्ज करने से रह गया व केवल आशाराम का ही नाम दर्ज कर दिया इसलिए विवादित म्यूटेशन निरस्त/संशोधित कर अपीलांट्स सहित रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम नामान्तरकरण भरने का आदेश दिया जाना न्याय संगत है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 440 दिनांक 06.02.2013 को अपास्त/निरस्त/संशोधित किया जाने हेतु आदेश प्रदान करावे व अपीलांट्स सहित रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम म्यूटेशन भरने का आदेश फरमाने का निवेदन किया।

कलक्टर, नागौर

राजपैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम थाम्बडिया (पांचलासिद्धा) तहसील खीवसर का म्यूटेशन संख्या 440 जो तहसीलदार खींवसर द्वारा दिनांक 06.02.2013 को स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 14, 15, व 16 में अंकित प्रविष्टी एंव वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत तर्कनामा दिनांक 17.7.2017 को पुस्तक संख्या–1 जिल्द संख्या 141 पृष्ठ संख्या 25 क्र. सं. 2012001973 पर पंजीबद्ध अनुसार नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया गया है। कानाराम व चम्पादेवी के फौत होने के तथ्य सही है। अतः म्यूटेशन जैर अपील विधि सम्मत नहीं होने से तहसीलदार खींवसर को प्रकरण रिमाण्ड करने का निवेदन किया।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 आशाराम के अधिवक्ता द्वारा भी अपीलांट की अपील को स्वीकार करने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। ग्राम थाम्बडिया (पांचलासिद्धा) तहसील खीवसर का म्यूटेशन संख्या 440 जो तहसीलदार खींवसर द्वारा दिनांक 06.02.2013 को स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 14, 15, व 16 के अनुसार कानाराम दिनांक 08.07.2011, चम्पादेवी फौत 10.8.2009 को होने से मृत्यु प्रमाण पत्र के तथा ग्राम पंचायत के द्वारा उतराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर एंव तर्कनामा दिनांक 17.7.2017 को पुस्तक संख्या–1 जिल्द संख्या 141 पृष्ठ संख्या 25 क्र.सं. 2012001973 पर पंजीबद्ध किये जाने से नामान्तरकरण भरकर जांच व उचित निर्णय हेतु पेश करने पर भू–अभिलेख निरीक्षक पांचलासिद्धा की जांच के पश्चात् तहसीलदार खींवसर द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 440 दिनांक 06.02.2013 को स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 9 के उपर सोनाराम, धीराराम का त्याग पत्र व कानाराम के स्थान पर का अंकन किया हुआ है, परन्तु सोनाराम व धीराराम का त्याग पत्र के संबंध में नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 14, 15 व 16 के कोई टिप्पणी अंकित नहीं है। कानाराम व चम्पादेवी के फौत होने के तथ्य पर कोई विवाद नहीं है। वकील अपीलांट द्वारा सुगनादेवी, पूरादेवी, मोहनीदेवी पिता स्व. भूराराम द्वारा सोनाराम, बीरा उर्फ धीराराम पिता स्व. भूराराम व आशाराम पुत्र कानाराम के पक्ष में दिनांक 17.07.2012 को पुस्तक संख्या–1 जिल्द संख्या 141 पृष्ठ संख्या 25 क्र. सं. 2012001973 पर पंजीबद्ध तर्कनामा की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त तर्कनामें से सोनाराम व धीराराम का त्यागपत्र नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 आशाराम के अधिवक्ता द्वारा भी अपीलांट की अपील को स्वीकार करने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में स्वीकृत नामान्तकरण जैर अपील विधि सम्मत स्वीकृत नहीं किया गया है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार कर म्युटेशन जैर अपील निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार खींवसर को प्रतिप्रेषित कर हस्तगत प्रकरण में पुनः विधि अनुसार पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदार कर विधि सम्मत आदेश पारित करने के निर्देश दिये जाते है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खींवसर को उनका मूल नामान्तरकरण लौटाया जाकर निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर